



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276593
CG-DL-E-29092026-276593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड III
PART I—Section III

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948

No. 03]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

रक्षा मंत्रालय

(सैन्य कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

क्रम सं. 12(5)/2025-डीएमए (एजी-II):— सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिनांक 26 फरवरी, 2019 के का.नि.आ. 33 द्वारा यथा-संशोधित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ. 1, दिनांक 31 दिसंबर 1992 की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उपर्युक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (vi) के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याओं को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vii) सेना चिकित्सा कोर;

(viii) सेना शिक्षा कोर।”

मेजर जनरल जी.एस. चौधरी, संयुक्त सचिव (सेना एवं टीए)

MINISTRY OF DEFENCE
(Department of Military Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

No. 12(5)/2025-DMA(AG-II).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Defence's S.R.O. 1, dated the 31st December, 1992, as amended by S.R.O. 33, dated the 26th February, 2019, namely:—

In the said notification, after serial number (vi), the following serial numbers shall be inserted, namely:—

“(vii) Army Medical Corps;

(viii) Army Education Corps.”

Maj Gen G. S. CHOUDHRY, Jt Secy (Army & TA)